राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक प.1(4)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर, दिनांक : 9 AUG 2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार , जयपुर।

विषय : जनलेखा समिति द्वारा निर्धारित साक्ष्य में उपस्थित होने के संबंध में।

महोदय,

मेरे ध्यान में लाया गया है कि जनलेखा समिति द्वारा लिये जाने वाले विभागीय साक्ष्य के संबंध में संबंधित विभागों को साक्ष्य की तिथि से एक से डेढ़ माह पूर्व सूचित करने के उपरान्त भी विभागीय प्रमुख साक्ष्य की तिथि से एक–दो दिन पूर्व साक्ष्य स्थगित करवाने हेतु पत्र भिजवाने की परिपाटी अपना रहे है अथवा अपने को साक्ष्य से मुक्त रखने के उद्देश्य से अपने से कनिष्ठ अधिकारी को साक्ष्य में उपस्थित होने के लिये अधिकृत करने की प्रक्रिया अपनायी जाती हैं।

उक्त स्थिति को समिति ने गंभीरता से लिया है और सूचित किया है कि यदि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी तो समिति को कठोर कार्यवाही करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही समिति ने निर्देश दिए है कि समस्त विभाग प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाये। अतः इस संबंध में पूर्व में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने की आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है :–

1. जनलेखा समिति द्वारा किसी विभाग का साक्ष्य/परीक्षण निर्धारित कर दिया जावे तो उसमें संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए। साक्ष्य/परीक्षण को अपरिहार्य कारणों को छोडकर किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं कराना चाहिए।
2. जन लेखा समिति द्वारा विभाग का साक्ष्य निर्धारित कर दिए जाने पर साक्ष्य से संबंधित नवीनतम क्रियान्विति विषयक सूचनाएं साक्ष्य की तिथि से कम से कम सात कार्य दिवस पूर्व जनलेखा समिति, प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे।
3. भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर प्रतिवेदनों के राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में प्रधान महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा कराकर राजस्थान विधानसभा को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दिये जावें।

शासन को यह अपेक्षा है कि समस्त प्रशासनिक प्रमुख समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों और उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेगे। उक्त निर्देशों की पालना में लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,
5/8
(अशोक जैन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव वित्त विभाग।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव